न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 10/2025 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2025/116

फुसे खां पुत्र श्री अस्त अली खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड नंबर 25, सरदारशहर, जिला चूरू।

——— अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री राजेन्द्र सिंह शिमला — अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह — अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 13.11.2025

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 04.04.2018, जिसके द्वारा अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट चूरू के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2018 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी।
4. अभिभाषक अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट की अपील को मियाद में शुमार किया जाता है।

5. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने आवेदन किया कि अपीलांट व्यवसायी है, जिसका मुख्य व्यवसाय सरदारशहर जिला चूरू में पेट्रोल पम्प संचालन का व्यवसाय है व मुम्बई में भवन निर्माण का काम है, जहां नकद लेन देन होता है, जिसके कारण आये दिन लूट, डकैती, चोरी आदि होने की संभावना रहती है तथा असामाजिक तत्वों से भी भय व्याप्त है। अपीलांट ने अपनी आत्म सुरक्षा के आधार पर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन किया था, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक चूरू व उप वन संरक्षक वन विभाग चूरू से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करवायी गयी। उक्त जांच प्रार्थी अपीलांट के अनुकूल व शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई व प्रार्थी अपीलांट पर जानलेवा हमले की प्रथम सूचना रिपोर्ट 55/2017 पुलिस थाना सरदारशहर में तहत भा.द.स. 307 में पंजीबद्ध हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया कि "प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज शामिल नहीं हैं जिससे यह ज्ञात होता हो कि आवेदक के जीवन को खतरा है। ऐसी स्थिति में आपका आवदेन पत्र अस्वीकार किया जाता है।" जबकि प्रार्थी अपने आवेदन में स्पष्ट अंकित किया है कि उसे अपने व्यापार को दृष्टिगत रखते हुए अपनी आत्मसुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2018 निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2018 पारित करते हुए अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया। पुलिस व वन विभाग की रिपोर्ट में भी आवेदन के जीवन को खतरे से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं की और न ही खतरे संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश उचित एवं सही हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2018 पारित करते हुए अपीलांट के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को प्रार्थी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये जाने, पुलिस व वन विभाग की रिपोर्ट में भी आवेदन के जीवन को खतरे से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं होने और न ही खतरे संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न होने के आधार पर तथा प्रार्थी अपीलांट द्वारा शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर निरस्त कर दिया। अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष भी अन्य कोई साक्ष्य व सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर विचार किया जा सके। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2018 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

8. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर